UPMT010015002026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,न्यायालय संख्या 03, जनपद मथुरा

उपस्थिति :–डॉ. (श्रीमती) पल्लवी अग्रवाल (उच्चतर न्यायिक सेवा)

{J.O.Code No. UP6191}

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–689/2026

जगदीश उर्फ जग्गा बनाम उ.प्र.राज्य

आदेश

1. मुकदमा अपराध संख्या–111/2026 धारा–191(2), 191(3), 190, 109(1) भारतीय न्याय संहिता, थाना–जैंत, जिला– मथुरा के अभियुक्त **जगदीश उर्फ जग्गा** की ओर से जमानत पर रिहा किए जाने के लिये यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी/प्रार्थी चन्दन सिंह पुत्र कमल सिंह निवासी गाँव परखम गूजर तहसील छाता जिला मथुरा का रहने वाला है। दिनांक 08.02.2026 को समय लगभग 01:00 बजे जमीन के विवाद को लेकर गाँव बाजना में समाज के कुछ गणमान्य व्यक्तियों द्वारा एक पंचायत बैठाई गयी थी, ताकि उक्त भूमि विवाद को सुलझाया जा सके। पंचायत के दौरान सुरेन्द्र उर्फ स्वराज पुत्र प्रताप निवासी गाँव बाजना द्वारा पंचायत के सामने प्रार्थी के ऊपर गोली चलाई गयी। उसके साथ उसके परिवार के मुनेश पुत्र प्रताप, जग्गा पुत्र मान सिंह, प्रहलाद पुत्र रज्जो तथा प्रताप पुत्र छटटी आदि भी मौजूद थे। चली हुई गोली प्रार्थी को छूते हुए निकल गयी, जिससे प्रार्थी बाल–बाल बच गया। उक्त सभी व्यक्तियों द्वारा एक राय होकर प्रार्थी को जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। अतः उक्त प्रकरण में उचित कानूनी कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना की गयी है।
3. उपरोक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियुक्त **जगदीश उर्फ जग्गा व अन्य** के विरूद्ध मुकदमा अपराध सं० 111/2026 अन्तर्गत धारा–191(2), 191(3), 190, 109(1) भारतीय न्याय संहिता विरूद्ध पंजीकृत किया गया।
4. अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र में यह अभिकथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इससे पूर्व कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी भी न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया गया है और न ही खारिज हुआ है, न विचाराधीन है। प्रार्थी/अभियुक्त उक्त केस में निर्दोष है, गाँव की पेशबन्दी से उसे पुलिस से मिलकर झूंठा फसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का एफ०आई०आर० में कोई आपराधिक कृत्य नहीं दर्शाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा न तो गोली चलाई न कोई अन्य तरह से अपराध में शरीक हुआ वह एक बुजुर्ग होने के नाते गाँव की पंचायत में था, उसका इस केस में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रॉल नहीं है। किसी को कोई चोट नहीं आई है। प्रयुक्त गोली स्वराज पुत्र प्रताप द्वारा चलाना दर्शाया गया है। घटना में कोई मारपीट होना भी नहीं दर्शाया है न कोई गाली गलौज, धमकी का आरोप है। घटना का कोई निष्पक्ष साक्षी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त बुजुर्ग किसान है, जमानत के दुरूपयोग नहीं करेगा। उक्त आधार पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।
5. राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।
6. जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–फौजदारी को सुना, जमानत पत्रावली, प्रथम सूचना रिपोर्ट, थाने से प्राप्त

Digitally signed by PALLAVI AGARWAL
Date: 2026.03.19 10:22:31 ANAT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रस्तरवार आख्या व संलग्न सी.डी. का अवलोकन किया गया।

7. अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्त सुरेन्द्र उर्फ स्वराज द्वारा वादी चन्दन सिंह पर जान से मारने की नीयत से गोली चलाई गई, जो उसे छूते हुए निकल गई। घटना के समय अन्य सह–अभियुक्तगण भी उपस्थित थे और उन पर सामूहिक रूप से वादी की हत्या का प्रयास करने का आरोप है।
8. स्वीकृत रूप से कथित घटना में किसी के कोई चोट नहीं आई है। मुख्य आरोप अभियुक्त सुरेन्द्र उर्फ स्वराज द्वारा फायर करने का है तथा अन्य अभियुक्तों पर सामूहिक रूप से अपराध में सहभागिता का आरोप है। अभियुक्त कई दिनांक से जिला कारागार मथुरा में निरूद्ध है। अभियोजन पक्ष की ओर से आवेदक/अभियुक्त के आपराधिक इतिहास अथवा किसी पूर्व दोषसिद्धि के सम्बन्ध में भी कोई कथन नहीं किया गया है, अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में, बिना प्रकरण के गुण–दोष पर जाए, आवेदक/अभियुक्त को सशर्त जमानत प्रदान किए जाने का न्यायोचित आधार है।

    तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त **जगदीश उर्फ जगा** द्वारा मुवलिग 1,00,000/– (एक लाख रूपये) रूपए का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इतनी ही धनराशि के दो स्थानीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत किए जाने पर उसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियमानुसार जमानत पर रिहा किया जाए–

क– आवेदक/अभियुक्त समान प्रकार के अपराध में पुनः लिप्त नहीं होगा,

ख– आवेदक/अभियुक्त प्रश्नगत विवेचना/विचारण में अपने स्तर से कोई विलम्ब कारित नहीं करेगा,

ग– आवेदक/अभियुक्त न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा एवं अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा,

घ– आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्षीगण को न डरायेगा और न धमकायेगा तथा अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ भी नहीं करेगा,

ड़– आवेदक/अभियुक्त आरोप विरचित किए जाने, धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कथन अंकित किए जाने एवं निर्णय हेतु नियत तिथियों पर आवश्यक रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

9. कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह इस जमानत आदेश की सॉफ्ट कॉपी अधीक्षक, जिला कारागार, मथुरा को ई० मेल districtjailmathura@gmail.com पर आवेदक/अभियुक्त के अभिलेख हेतु प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

दिनांकः–18.03.2026

(डॉ. श्रीमती पल्लवी अग्रवाल)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–03, मथुरा।
ID – UP6191